**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2267/2026

Govindhath S/o Ramnath, Aged About 48 Years, R/o Nath Mohalla Dug, Police Station Dug, District Jhalawar (Raj.) (Presently Confined In Sub Jail At Bhawanimandi).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Narsi Prasad Sharma |
| For Respondent(s) | : | Mr. Amit Kumar Gupta, PP |

---

**HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA**

**Order**

**25/02/2026**

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना डग, जिला–झालावाड़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 24/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 8/20, 8/25, 8/29 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि उसे प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है तथा उसके आधिपत्य से 01 किलो 120 ग्राम गांजा बरामद होना बताया गया है, जो व्यावसायिक मात्रा से कम है तथा लघु मात्रा 01 किलो से थोड़ा ही अधिक है। प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व का इस प्रकृति का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं हुआ है, जो 05 प्रकरण पूर्व के संस्थित होना बताये गये हैं, वे 13 आरपीजीओ से संबंधित हैं, जिनमें प्रार्थी–अभियुक्त को 100–100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 18.01.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के अन्वेषण और विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रकरण में अभियुक्त से 01 किलो 120 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराध का अभियोग है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी के आधिपत्य से 01 किलो 120 ग्राम गांजे की बरामदगी होना बताया गया है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम होकर लघु मात्रा 01 किलो से थोड़ा ही अधिक है। प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व के जो 05 प्रकरण आपराधिक प्रकरण संस्थित होना बताये गये हैं, वे 13 आरपीजीओ के हैं तथा उनका निस्तारण हो चुका है। पूर्व का इस प्रकृति का कोई आपराधिक प्रकरण प्रार्थी के विरूद्ध संस्थित नहीं हुआ है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 18.01.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के अन्वेषण और विचारण में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र इस शर्त के साथ कि प्रार्थी–अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थी–अभियुक्त को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण के विचारण तक संबंधित पुलिस थाने में प्रत्येक माह की 10 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। संबंधित थानाधिकारी उसकी उपस्थिति का विवरण प्रत्येक माह विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। अभियुक्त द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्त के जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

VISHAL SHARMA /62